राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प0 7(8)कार्मिक/क–2/08 जयपुर दिनांक 20-07-2012

आदेश

कार्मिक विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8.2.2010 के द्वारा राज्य में भर्तियों एवं दाखिलों में पिछड़े वर्ग के लिये निर्धारित 21 प्रतिशत आरक्षण में विशेष पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित किया हुआ है। इसके अतिरिक्त समसंख्यक आदेश दिनांक 6.5.2010 के द्वारा विशेष पिछड़ा वर्ग को 1 प्रतिशत आरक्षण देय किया गया है, जो निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा में है।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा विभिन्न पदों पर की जाने वाली भर्तियों में उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये उपरोक्त वर्णित आरक्षण के अनुसार विभिन्न पदों पर की जाने वाली भर्तियों में विशेष पिछड़ा वर्ग को केवल 1 प्रतिशत आरक्षण ही दिया जा रहा है, जबकि पिछड़ा वर्ग को देय 21 प्रतिशत आरक्षण में विशेष पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा मार्गदर्शन चाहा जा रहा है कि उक्त वर्ग के अभ्यर्थी का वरीयता (merit) क्रम में चयन होने पर गणना किस प्रकार/आधार पर की जानी है।

इस संबंध में सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को स्पष्ट रूप से व्यादिष्ट किया जाता है कि विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न पदों पर की जाने वाली भर्तियों में विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का यदि वरीयता (merit) में चयन होता है तो वह सामान्य रिक्ति के विरूद्ध चयनित माना जायेगा और यदि उक्त वर्ग के अभ्यर्थी का चयन वरीयता (merit) में नहीं होता है तो सर्वप्रथम पिछड़ा वर्ग को देय 21 प्रतिशत आरक्षण में विचार किया जावे, तत्पश्चात् इन्हें विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित 1 प्रतिशत आरक्षण में विचार किया जावे। उक्त निर्देशों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,
20-7-2012
(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टर्स सहित।

(नलिनी कठोतिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

शासन उप सचिव

32/2012